



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032021-226152
CG-DL-E-26032021-226152

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1247]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 25, 2021/चैत्र 4, 1943

No. 1247]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 25, 2021/CHAITRA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021

का.आ. 1351(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-730सी के अल्लाहगंज-मीरानपुर कटरा-रुहैता खण्ड (किमी. 52.770 से किमी. 135.150) को ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर परियोजना (जीएनएचसीपी) के अन्तर्गत निर्माण/ चौड़ीकरण (दो/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित जिलो, तालुको और गांवों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) के तदवस्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूखण्ड के संबंध में इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-730सी के अल्लाहगंज-मीरानपुर कटरा-रुहैता खण्ड (किमी. 52.770 से किमी. 135.150) के निर्माण/ चौड़ीकरण (दो/चार लेन बनाने आदि) हेतु भूमि अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, (संयुक्त-संगठन), शाहजहाँपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH730C के कि.मी. 52.77 से 135.15 तक	उत्तर प्रदेश	शाहजहाँपुर	तिलहर	1 खुदागंज बांगर

[फा. सं. PIU/MoRT&H/LA/SZP/2020-21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th March, 2021

S.O. 1351(E).—In exercise of the power conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the Competent Authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluka and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building/widening (two-laning with paved shoulders/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Allahganj-Miranpur Katra-Radhaita Section of NH-730C (Km. 52.770 to Km. 135.150) in the State of Uttar Pradesh under Green National Highway Corridor Project (GNHCP).

SCHEDULE

Land acquisition for Rehabilitation and upgradation to 2-Lane with paved shoulder/4-Lane configuration of Allahganj-Miranpur Katra-Radhaita section (Km. 52.770 to Km. 135.150) of NH-730C in the state of Uttar Pradesh.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special Land Acquisition Officer (Sa.-Sa.) Shahjahanpur	52.77KM To 135.15KM	UTTAR PRADESH	SHAHJAHANPUR	Tilhar	1 Khudaganj Bangar

[F. No. PIU/MoRT&H/LA/SZP/2020-21]

RAJESH GUPTA, Director